**CBDT notifies Form No. 10 IC & 10 ID for Companies who want to opt for lower tax regime u/s 115BAA & 115BAB**

Central Board of Direct Taxes (CBDT) has notified two forms namely

1. Form 10-IC and

2. Form 10-ID.

These forms were announced for Concessional Corporate Taxation Regime of 15%, 22% announced in September, 2019.

These options will be exercised by a person, being a domestic company, for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2020.

For companies filing tax as per section 115BAA of the income Act, Form 10-IC is applicable and the Tax rate is 22%. For companies filing tax as per section 115BAB of the Income Tax Act, Form 10-ID is applicable and Tax Rate is 15%.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022020-216132
CG-DL-E-13022020-216132

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020/माघ 23, 1941
No. 92] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020/MAGHA 23, 1941

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

**आय-कर**

**सा.का.नि. 110(अ).**—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 11खकक और धारा 11खकख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 21कघ के पश्चात् निम्नलिखित नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**21कङ. धारा 115खकक की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का उपयोग.**—(1) किसी व्यक्ति द्वारा धारा 115खकख की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए विकल्प का उपयोग प्ररूप सं. 10झघ में होगा ।



*(Source: https://thetaxtalk.com/)*